

-:: कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ::-

क्रमांक :- प-2१७-51१ जविप्रा/मिडिंग/96/डी-186

दिनांक :- 7 फरवरी, 1996

विषय :- दिनांक 2.2.96 को आयोजित जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 59वीं बैठक का कार्यवाही विवरण ।

महोदय,

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 59वीं बैठक दिनांक 2.2.96 को आयोजित की गई थी में लिये गये निर्णयों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है । कृपया इन निर्णयों की विन्यासित हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें और वो गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

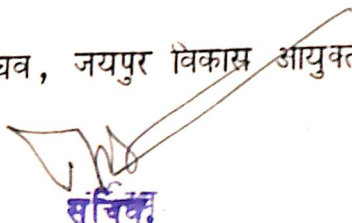


सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर ।
3. कलक्टर, जयपुर ।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर ।
7. मुख्य अभियन्ता § ओ.एंड एम. § द्वितीय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर ।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर ।
9. पुलिस अधीक्षक § नगर §, जयपुर ।
10. मुख्य कार्किरी अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम, जयपुर ।
11. निदेशक अभियान्त्रिकी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
12. निदेशक आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
13. निदेशक वित्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।



सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



सचिव

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

.....

क्रमांक: प.2/77-59/जविप्रा/गिटिंग/96/

दिनांक:

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 59वीं बैठक

दिनांक 2.2.96 का कार्यवाही विवरण

.....

प्राधिकरण के क्रमांक: प-2/77-59/जविप्रा/गिटिंग, 96/डी-70 दिनांक 18.1.96 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की "कार्यकारी समिति" की 59वीं बैठक दिनांक 2.2.96 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

बैठक में हुए विचार-विमर्श के सन्दर्भ से एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा आइटम 59.1 - कार्यकारी समिति की 58वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

बैठक में गत 58वीं समिति बैठक दिनांक 20.1.95 की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 के विवरणानुसार अवलोकन किया जाकर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आइटम 59.2 - कार्यकारी समिति की 58वीं बैठक के निर्णय की क्रियान्विति।

बैठक में समिति की गत 58वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का विवरण जो कि परिशिष्ट-2 में समाविष्ट किया गया है का अवलोकन कर इसका अनुमोदन किया गया।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एजेण्डा आइटम 59.3 [58.12] - जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली तथा ऑरगेनाइजेशन सेटप को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से जारी किये गये आदेश व कार्यवाही उपरान्त अवलोकनार्थ।

बैठक में प्राधिकरण की कार्य प्रणाली तथा संगठनात्मक संरचना को अधिक उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने की दृष्टि से जारी किये गये विभिन्न आदेशों के क्रम में "प्राधिकरण" की 30वीं बैठक दिनांक 30.12.95 के एजेण्डा आइटम 30.10 के अधीन की गई पुष्टि का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। इस क्रम में जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा पुनर्गठन से समाप्त किये गये पदों एवं तदनुसार अर्जित वित्तीय बचत के पहलुओं पर भी सुक्ष्म प्रकाश डाला गया जिसका

विवरण विस्तार से अतिरिक्त एजेण्डा आइटम नं. 59.10(1) में अंकित किया गया है।

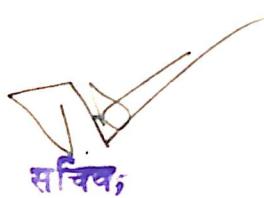
एजेण्डा आइटम 59.4 [58.13] - योजनाओं की सुरक्षित दर में संशोधन।

समिति द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की सुरक्षित दर में गठित उप समिति की बैठक दिनांक 2.11.95 की अनुपालना में जारी किये गये आदेश जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 एवं उसमें संलग्न कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ.1 [61] जविप्रा/मुराअ/एस.ए./86/डी-8193 दिनांक 6.11.95 में अंकित है, की समिति द्वारा पुष्टि की गई।

एजेण्डा आइटम 59.5 [अतिरिक्त एजेण्डा 58.5] - गैरर्स आई.एस. होटल्स प्रा0 लि0 का होटल का होटल प्रोजेक्ट।

एजेण्डा आइटम के साथ संलग्न परिशिष्ट-5 में अंकित विवरण पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

II गैरर्स आई.एस. होटल्स प्राइवेट लि0 के प्रासंगिक अस्ताव से सम्बन्धित भूमि खसरा नं. 209, 210, 211/1, 211/2 क्रमांक सोडला जो कि हवा सड़क एवं अजमेर रोड के पीछे सोडाला आरक्षी केन्द्र जंक्शन पर स्थित है के भू-उपयोग [लेण्ड यूज] के उपान्तरण की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25(3) के अन्तर्गत किये जाने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा प्रसारित अधिसूचना के क्रम में आये सगस्त आपत्तियों का सुध विवरण एजेण्डा नोट में अंकित है के अनुसार एवं बैठक की कार्यवाही के दौरान इस प्रकरण से सम्बन्धित आवेदक श्री हरविन्दर सिंह को विस्तार से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर और उनको तदनुसार सुनने के पश्चात् उपान्तरण [आवासीय से होटल] सिद्धांततः स्वीकृत करते हुए तदनुसार निम्नांकित कार्यवाही करने का तय किया गया :-


सचिव;

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

III समाचार पत्र "शिकवा" के सम्पादक श्री अमिनी कुमार राही का आपत्ती पत्र दिनांक 1.2.96 एवं आवेदक श्री हरविन्दर सिंह के प्रत्यावेदन दिनांक 2.12.96 जिसकी अतिरिक्त प्रतियाँ समिति के सगस्त उपस्थित सदस्यगण को बैठक में उपलब्ध करवाई गई, के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर जयपुर से एक प्रतिवेदन शासकीय अभिलेख के आधार पर कार्यालय में शीघ्रतिशीघ्र यथा संभव अधिकतम 15 दिवस की अवधि में प्राप्त कर लिया जाये।



॥ ब ॥ अभिलेख पर आये उपर्युक्त तथ्यात्मक परीक्षण में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज्य सरकार को भी एक प्रतिवेदन भिजवा दिया जावे ।

॥ स ॥ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक: एफ. 19/1/यू.डी.एण्ड एच./94 दिनांक 11.2.94 के अन्तर्गत गठित समिति जो 11 संभागीय आयुक्त, जयपुर के संयोजन में इस प्रकरण के परीक्षण और परामर्श हेतु गठित की गई थी द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर प्राधिकरण की प्रासंगिक पत्रावली पर रखी जावे ताकि राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन में इसका भी उल्लेख किया जा सके ।

॥ II ॥ एजेण्डा आईटम में संलग्न परिशिष्ट-5 में उपायुक्त-2ए के इस प्रस्ताव पर कि इस भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहित कर ली जावे पर समिति ने विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया कि प्रकरण की समग्र तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में अधिग्रहण की कोई कार्यवाही किया जाना इस स्टेज पर वांछनीय अथवा उचित नहीं होगी तथा उपायुक्त जोन 2ए का यह प्रस्ताव इस हद तक अस्वीकृत किया जाता है ।

॥ III ॥ प्रकरण के आवेदक श्री हरविन्दर सिंह को बैठक की कार्यवाही के दौरान वचनबद्धता (कमिटमेंट) दर्ज करवायी कि वे इस भूमि का कोई अग्रिम हस्तान्तरण करने का विचार नहीं रखते हैं और इसे प्रस्तावित होटल परियोजना हेतु ही ऊर्फ द्वारा उपयोग में लिया जावेगा ।

समिति अध्यक्ष द्वारा श्री हरविन्दर सिंह द्वारा व्यक्त विचारों के सन्दर्भ से कि प्रकरण में पहले से ही काफी समय गंवाया जा चुका है को भविष्य में समगबद्ध तरीके से सम्पादित करने का भी निर्देश दिया ।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एजेण्डा आईटम 59.6 - फतेह सिंह की धर्मशाला में द्वास्तिक भूखण्ड संख्या बी-19 के नियमितकरण हेतु ।

समिति ने प्रकरण के तथ्यों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और निम्नांकित निर्णय

लिया :-

॥ I ॥ चूँकि प्लॉट के खरीददार द्वारा नीलागी कार्यवाही दिनांक 24.6.93 जिसकी पुष्टि प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिनांक 14.7.93 को कर दी गई थी, के अन्तर्गत 30 दिवस की निर्धारित अवधि में वांछित राशि जमा नहीं करवाई, कार्यकारी समिति के स्तर पर अब इस मामले

को नियमितकरण करते हुए राशि गय ब्याज एवं शास्ती उगा कराने की कार्यवाही किया जाना अवैधानिक होगा, अतः प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

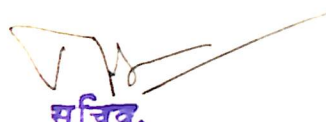
॥ II ॥ समायोजित अवधि के पश्चात् क्रेता द्वारा जमा कराई गई राशि उसे वापस लौटाते हुए विक्रय की कार्यवाही को निरस्त कर दिया जावे ।

॥ III ॥ वर्तमान में इस भूखण्ड संख्या बी-19 जो कि लतेह सिंह की धर्मशाला पर अवस्थित है की वास्तविक स्थिति क्या है के बारे में एक प्रतिवेदन क्षेत्रीय उपायुक्त से प्राप्त किया जावे ।

॥ I ॥ इस तरह के अन्य समानान्तर प्रकरणों में तत्काल विवेचन करते हुए यह देखा जावे कि कथित मामलों में क्रेताओं द्वारा उनके स्तर पर ही राशि अनियमित तौर पर जमा करवाने की कार्यवाही कैसे की गई है ।

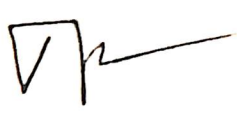
॥ ॥ भविष्य में प्राधिकरण स्तर पर इस तरह की व्यवस्था की जावे कि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कोई राशि इस तरह के मामलों में निर्धारित अवधि के गुजर जाने के पश्चात् प्राधिकरण फण्ड में जमा नहीं करवाई जा सकें ।

एजेण्डा आईटम 59.7 - विद्याधर नगर आवासीय योजना 87 के भवन निर्माण की अवधि दिनांक 31.12.96 तक बढ़ाने एवं दिनांक 1.1.96 से आर्जित राशि का 2.5 प्रतिशत वसूल किये जाने बाबत ।


सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एजेण्डा विवरण प्रस्तावानुसार विद्याधर नगर आवासीय योजना 1987 में अनिर्गित भूखण्डधारियों से आर्जित राशि का कुल 7.5 प्रतिशत विलग शुल्क वसूल कर अवधि दिनांक 31.12.96 तक प्रस्तावानुसार बढ़ाने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

एजेण्डा आईटम 59.8 - रिक्त भूखण्ड की जानकारी प्रदान कराने के फलस्वरूप श्री आशुतोष पांडे को पुस्कार राशि स्वीकृत करने बाबत ।



एजेण्डा आईटम में अंकित विवरणानुसार श्री आशुतोष पांडे को भूखण्ड संख्या बी-74 एवं सी-134 बजाज नगर योजना के मामलों में दी गई सूचना से हुई नीलाभी से प्राप्त राशि की 1% राशि बतौर प्रोत्साहन राशि प्रस्तावानुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा यह भी व्यवस्था दी गई कि भविष्य में इस सम्बन्ध में नीति-विषयक निर्णय प्रकरण में जारी प्राधिकरण सार्वजनिक के चिन्हीकरण एवं अभिलेख प्रमाणीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् नये सिरे से विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

एजेण्डा आइटम 59.9 - श्री गहेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा में अभिवृद्धि एवं नियमितकरण के निर्णय हेतु।

समिति द्वारा एजेण्डा आइटम में अंकित विस्तृत विवरण पर गंभीरता से विचार करने उपरान्त श्री गहेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा अभिवृद्धि के साथ ही उनकी की गई नियुक्ति का नियमितकरण करने का निर्णय लिया तदनुसार प्रशासनिक कार्यवाही अगल में लाई जाये।

अतिरिक्त एजेण्डा 59.10 11 -

जैसा कि पूर्व एजेण्डा आइटम क्रमांक 59.3 से संबंधित कार्यवाही विवरण में अंकित किया गया है समिति द्वारा प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना के सम्बन्ध में प्रसारित विभिन्न आदेशों जिनका उल्लेख परिशिष्ट-10 11 के क्रम में की गई कार्यवाही का अवलोकन किया।

एजेण्डा आइटम 59.10 21 - जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यालय अधीक्षक के छाया पदों के सृजन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा एजेण्डा आइटम में अंकित विस्तृत विवरण के तथ्यों का अवलोकन कर प्राधिकरण में कार्यालय अधीक्षक के छाया पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नांकित जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विवरणानुसार स्वीकृत किये गये :-

1. कार्यालय अधीक्षक के दो छाया पद दिनांक 26.5.94 से 31.3.95 तक
(श्री चिरंजी लाल गुप्ता व श्री मो0 जलील के लिये)
2. कार्यालय अधीक्षक के एक छाया पद दिनांक 1.4.95 से 31.7.95 तक
(श्री मोहम्मद जलील के लिये)

समिति द्वारा इस क्रम में यह भी व्यवस्था की गई कि भविष्य में स्पष्ट विद्यमान पदों के विरुद्ध ही पदोन्नति आदेश जारी किये जाने चाहिए ताकि छाया पद सृजन किये जाने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं बने।

एजेण्डा आइटम 59.10(3) - प्राधिकरण में निजी सचिव का पद उच्चीकृत करते हुए स्वीकृत करने हेतु -

समिति द्वारा एजेण्डा संलग्न विवरणानुसार प्रसंग से विचार-विमर्श के उपरान्त सचिव प्रकोष्ठ की स्टेन्थ पर एक पद निजी सचिव वेतन श्रृंखला 2500-4250 में उच्चीकृत करते हुए तदनुसार सृजित करने की कार्यवाही जो कि प्राधिकरण की आ 11 क्रमांक एफ.7(1) जविप्रा/संस्था/92 दिनांक 23.1.96 के अधीन की गई है का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आइटम 59.10(4) - नायरगेन ग्रेड-द्वितीय पद की वर्गोन्नति (अपग्रेड) बाबत।

समिति द्वारा प्राधिकरण के नियमित संवर्ग में विद्यमान नायरगेन ग्रेड-2 को ग्रेड वेतन श्रृंखला 1200-2050 में वर्गोन्नत (अपग्रेड) किये जाने की आज्ञा क्रमांक:प-4(93)जविप्रा/संस्था/94/26-33 दिनांक 16.1.96 द्वारा प्रसारित किये गये (परिशिष्ट-1) का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आइटम 59.10(5) - श्री गोपाल सिंह राठौड के स्वमित्व की भूमि खसरा नं. 50, ग्राम सोडाला, जयपुर हवा सड़क के सम्बन्ध में -

समिति द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा आइटम में अंकित विचार-विमर्श के अनुसार भूमि खसरा नं. 50 ग्राम सोडाला, जयपुर पर होटल स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ प्रश्नगत 8750 वर्ग गज भूमि जिसका भू उपयोग वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय है को होटल के उपांतरण किये जाने के उद्देश्य जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उप धारा (3) के तहत जारी शुद्ध अधिसूचना के पश्चात् प्रस्तावानुसार राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत प्रकरण भेजे जाने की कार्यवाही का अनुमोदन किया।

तत्पश्चात् कोई अन्य विन्दु विचार योग्य वांछित नहीं रहने की दशा में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

(नरहरी शर्मा)

सचिव, जविप्रा. जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
3. कलक्टर, जयपुर।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यकारी समिति 59वाँ बैठक दिनांक 2.2.96 पृष्ठ 7.

4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) द्वितीय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9. पुलिस अधीक्षक (नगर), जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम, जयपुर।
11. निदेशक अभियांत्रिकी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. निदेशक आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. निदेशक वित्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

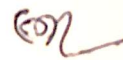
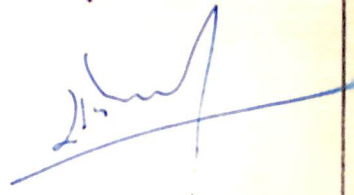
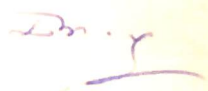
✓ ps-
सचिव

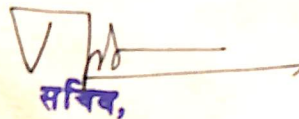
✓ ps-
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की दिनांक 2.2.96 पूर्वान्ह 11.00 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित 59वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	V. S. SINHA	JDC	
02	SN Thanvi	Collector	
3.	A. K. Chhaparwal	DSD UDH	
4-	Rajendra Tothi	Adl. S.P. Traffic	
5 -	P. S. Shekharwar	SE (JCC) RSES.	
6	R. K. Jain,	S.E. PH & T	
7	Hareem Prakash	JM CE PH & T	
8.	S. Ajmera.	Director (Finance) (C)	
9.	B. L. Mehra	Director (TP)	
10.	Narhari Shena	Sey. J.D.A.	
11	Chhaya Bhalnagar	Adl. Commr	
12	Namul Kishnu Shani	Dy. Commr (Coord)	
	R. N. RISHWANI	Dy. Town Planner	
		R.I.I. Co.	


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर